राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 जयपुर, दिनांक : 18 APR 2022

परिपत्र

विषय : दिनांक 01–01–2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों/विश्वविद्यालयों में नवीन अंशदायी पेंशन हेतु वेतन से मासिक कटौती के संबंध में।

संदर्भ : वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24–03–2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय जिनमें कार्मिकों के लिए 01–01–2004 से पूर्व नियुक्ति की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा उसके पश्चात नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू है, उन संस्थाओं में दिनांक 01–01–2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) वर्तमान में लागू है, उनके नवीन अंशदायी पेंशन हेतु होने वाली 10 प्रतिशत मासिक कटौती समाप्त करते हुए दिनांक 01–04–2022 से वेतन का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त परिपत्र के क्रम में वित्त विभाग को मार्गदर्शन हेतु प्रकरण संदर्भित हो रहे है कि (1) क्या दिनांक 01–01–2004 के पश्चात अस्तित्व में आये राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय पर उक्त परिपत्र लागू होगा अथवा नहीं ? (2) क्या संदर्भित परिपत्र विश्वविद्यालयों पर भी लागू है क्योंकि पूर्व परिपत्र में विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं था ? (3) जिन राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय में कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान एक्ट, 1954 के अन्तर्गत Employees Provident Fund (EPF) लागू है या Contributory Pension Fund (CPF) या अन्य योजना लागू है, उनके संबंध में क्या निर्देश हैं?

इस संबंध में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24–03–2022 की निरन्तरता में लेख है कि :

1. जो राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय/विश्वविद्यालय आदि दिनांक 01–01–2004 के पश्चात अस्तित्व में आये है उनके संबंध में उनके कर्मचारियों से एनपीएस कटौती यथावत की जायेगी।
2. जो राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय/विश्वविद्यालय आदि दिनांक 01–01–2004 के पूर्व अस्तित्व में थे परन्तु वहां पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं थी और दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई, ऐसी संस्थाओं में उनके कर्मचारियों से एनपीएस कटौती यथावत की जायेगी।
3. जिन संस्थाओं में दिनांक 01–01–2004 से पूर्व पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं थी तथा उसके पश्चात् भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू नहीं थी और इन संस्थाओं में कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान एक्ट, 1954 के अन्तर्गत Employees Provident Fund (EPF) या Contributory Pension Fund (CPF) या अन्य कोई योजना लागू है, वहां इन योजनाओं (EPF/CPF etc.) के अन्तर्गत ही उनके कर्मचारियों से कटौती एवं अन्य कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
7. रक्षित पत्रावली

18/4/22
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग
राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांक : एफ2(4)बीपीई/89/पार्ट II/179 जयपुर, दिनांक 22/4/22

प्रतिलिपि : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, समस्त राजकीय उपक्रमों को प्रेषित कर निवेदन है कि वित्त (नियम) विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव